8. Biscripts (WP)
9. Hindi Busywriter
10. Devnagri (WP)
11. Aalekh (WP)

*WP—Word Processing Package
**DTP—Desk Top Publishing Packages

Radioactivity from phosphatic fertilisers

1635. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the reports of radioactivity from phosphatic fertilisers; and

(b) whether this report is based on a FAO document and if so, when was this released and when was this received by Government through its representative at FAO Rome; and

(c) what action has been or is proposed to be taken on the report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) There is no radioactive cadmium in phosphatic fertilisers as mentioned in the newspaper report. It is well known that all rock phosphates contain traces of urnium. However, they do not pose any health hazards during use.

(b) and (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

शीत भांडागार के नियम

1636. **श्री लक्खी राम अग्रवाल :**
श्री अजीत जोगी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार शीत भांडागार नियमों के संबंध में कोई विधेयक लाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो विधेयक को कब तक पुरःस्थापित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को कुछ पहले इसी प्रकार का एक विधेयक प्राप्त हुआ था ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कुछ वर्ष पहले मध्य प्रदेश सरकार से शीत भण्डारण विनियमन संबंधी एक विधेयक प्राप्त हुआ था । प्रस्ताव को इसलिए अनुमोदित नहीं किया गया था क्योंकि उस समय देश में शीत भण्डारण विनियमन के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार शीत भण्डारण के लिए एक केन्द्रीय कानून लाने पर विचार कर रही थी। तथापि, बाद में इस विचार को त्याग दिया गया था । इसकी बजाय, केन्द्रीय सरकार ने एक "माडल विधेयक" तैयार किया था और इसे मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को परिचालित किया था जिसे आवश्यक संशोधन करके उनके द्वारा अपनाया जा सकता था । अब तक किसी भी राज्य सरकार ने आवश्यक कानून नहीं बनाया है ।

व्यापक आधार वाली राष्ट्रीय सूचना परिषद् का गठन

1637. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
कुमारी सईदा खातून :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रैस परिषद् ने यह सुझाव दिया है कि समुचित मीडिया नीति तैयार करने के लिए एक व्यापक आधार वाली राष्ट्रीय सूचना परिषद् का गठन किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) प्रैस की व्यावसायिक प्रतिबद्धता की भावना विकसित करने; इसका स्तर उठाने तथा दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रेस का सुझाव नोट कर लिया गया है।

(ग) सरकार चाहेगी कि प्रेस की व्यावसायिक प्रतिबद्धता और उसके स्तर का विकास हो। तथापि, प्रेस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय प्रेस परिषद् का यह दायित्व है कि वह भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाये रखे और उसमें सुधार लायें।

टी०वी० सीरियलों के पुनः प्रसारण के माप दंड

1638. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
कुमारी सईदा खातून :
श्री कपिल वर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन ने 'कथासागर' सीरियल को पुनः दिखाये की घोषणा की है, यदि हां, तो इसकी कितनी किश्तें पहले ही दिखाई जा चुकी हैं तथा इस सीरियल को पुनः दिखाने के क्या कारण हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा कौन-कौन से सीरियल दिखाये गये हैं तथा किसी सीरियल को पुनः प्रसारित करने और सीरियल की किश्तों का निर्धारण करने के लिए क्या मापदण्ड हैं; और

(ग) दूरदर्शन महानिदेशालय के पास पिछले तीन वर्षों से कितने निर्माताओं के कितने-कितने सीरियल प्रसारण के अनुमोदनार्थ लम्बित पड़े हैं तथा ऐसे निर्माताओं और सीरियलों के नाम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) "कथासागर" धारावाहिक को पहले 39 कड़ियों में प्रसारित किया गया था। 'कथासागर' के निर्माता ने इस धारावाहिक को शनिवार दोपहर बाद पुनः प्रसारित करने का अनुरोध किया और दूरदर्शन ने 13 कड़ियों के लिए इसे स्वीकार कर लिया।

दूरदर्शन द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान, शनिवार दोपहर बाद जिन धारावाहिकों को पुनः प्रसारित किया गया है, उनके नाम इस प्रकार है:

1. शो थीम
2. एक दो तीन चार
3. दर्पण
4. आ बैल मुझे मार
5. बैरिस्टर विनोद
6. करमचन्द
7. छोटी बड़ी बातें
8. कथासागर

शनिवार के दोपहर बाद प्रसारण को लोकप्रिय बनाने के प्रयोजन से दूरदर्शन के प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में इन धारावाहिकों को पुनः प्रसारित किये जाने की अनुमति देता है। पुनः प्रसारण के लिए किसी धारावाहिक पर विचार करने हेतु दूरदर्शन द्वारा अपनाये गये मानदण्ड इस प्रकार हैं।

1. धारावाहिक की लोकप्रियता और कलात्मक गुणवत्ता।

2. पुनः प्रसारण के लिए प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख।

3. निर्धारित समय पर प्रसारण हेतु निर्माता का तैयार होना।

शनिवार दोपहर बाद प्रसारण में जिन धारावाहिकों का पुनः प्रसारण के लिए अनुमोदन किया जाना है, निर्माताओं के नाम सहित उनकी सूची संलग्न विवरण अनुबंध में दी गई है।